भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2587
दिनांक 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

बीएनएसएस के अंतर्गत जानकारी

2587. श्री दिलीप शइकीयाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अंतर्गत सूचना देने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 37(ख) के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक जिले तथा प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी को नामित करेगी, जो सहायक पुलिस उप-निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा तथा वह अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्योरे रखने और इस जानकारी को आम जनता के लिए प्रदर्शित करने हेतु जिम्मेदार होगा।

****